<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (227) क्रमांक 475/2021</u>

आदेश हेतु निर्धारित दिनांक 07.10.2021
आदेश घोषित दिनांक 27.10.2021

1. नोहर प्रसाद पांडे, आ. स्व.सुतिच्छन प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी रिवसरार, पी.एच.नंबर 2, थाना व तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग.
2. मोरध्वज पांडे, आ. स्व.सुतिच्छन प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रिवसरार, पी.एच.नंबर 2, थाना व तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग.
3. रवि प्रकाश पांडे, पुत्र स्व.सुतिच्छन प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रिवसरार, पी.एच.नंबर 2, थाना व तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग.
4. दुष्यंत कुमार पांडे, आ. स्व.सुतिच्छन प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रिवसरार, पी.एच.नंबर 2, थाना व तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग. ....**याचिकाकर्ता**

विरुद्ध

1. पारस पांडे पुत्र स्व.सुतिच्छन प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी रिवसरार, पी.एच.नंबर 2, थाना व तहसील कसडोल जिला बलौदा बाजार भाटापारा छ.ग.
2. छ.ग. शाासन द्वारा कलेक्टेरेट बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा

.... **उत्तरवादी**

....

याचिकाकर्ता द्वारा श्री रविन्द्र शर्मा अधिवक्ता ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 07 द्वारा श्री श्री शोभित कोष्टा अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री आलोक निगम, जी.ए ।

....

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत</u>
<u>सी.ए.वी. आदेश</u>

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा छत्तीसगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2021 के आदेश से व्यथित होकर पेश किया गया है जिसमें विविध सिविल अपील क्रमांक 12/2019 में अपील स्वीकार कर–विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2019 को निरस्त कर प्रतिवादी क्रमांक– 1 को आदेश XXXIX नियम 1 और 2 व्य.प्र.सं. के तहत अनुतोष प्रदान किया गया है ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं ने एक व्यवहार वाद दायर कर स्वत्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, विभाजन और कब्जे के अनुतोष की मांग इस आधार पर किया कि संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति है । याचिकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 1 स्व. सुतिच्छन पांडे के पुत्र है । प्रतिवादी क्रं.01 इस आधार पर मुकदमा लड़ रहा हे कि उभयपक्ष के मध्य बंटवारा पहले ही हो चुका है । प्रतिवादी क्रं.1/ उत्तरवादी ने एक आवेदन अंतर्गत आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. पेश किया है कि वह बटवारा भूमि के उस भाग के कब्जे में है जिसको वादी अपना होना बता रहा है। इसलिए उपरोक्त आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाये। याचिकाकर्ता/वादीगण ने आवेदन का विरोध किया। आदेश दिनांक 26.08.2019 के द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आवेदन को अस्वीकार किया गया । अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवादी क्रमांक 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि वाद

के लंबनकाल में याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी क्रमांक 1 के वाद भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

3 याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह बताया गया है कि स्व. सुतिच्छन पांडे ने अपने जीवनकाल में ही संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों के बीच कर दिया था और वाद भूमि याचिकाकर्ताओं के हिस्से में आ गई थी । प्रतिवादी क्रमांक 1 को लोन पर ट्रेक्टर खरीदना था, जिसके लिए याचिकाकर्ता सहित परिवार के सदस्यों का सहमति पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम को वाद भूमि के राजस्व अभिलेखों में नामांतरण करने की अनुमति दी गई थी । वाद संपत्ति याचिकाकर्ताओं के कब्जे में रही है। दोनो पक्षो के बीच यह समझौता हुआ था कि ऋण की अदायगी के बाद पूरी संपत्ति का फिर से बंटवारा किया जाएगा । याचिकाकर्ताओं ने वाद पत्र में यह दलील दी है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप कर रहा है जिसके कारण, घोषणा, निषेधाज्ञा, विभाजन और कब्जा के अनुतोष के लिए सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह बताया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है और आवेदन खारिज किये जाने योग्य था । प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दायर आवेदन पर परिवार के सदस्यों को सिविल मुकदमें में एक पक्ष के रुप में शामिल किया गया है, हालाकिं, प्रतिवादी क्रमांक 1 का दावा संपूर्ण वाद भूमि नहीं है, जिसे दिनांक 13.09.2000 के सहमति पत्र के आधार पर देखा जा सकता है, जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रं.1 सहित परिवार के सभी सदस्यों ने सहमति दी थी कि वाद भूमि प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरित की जाएगी, जो संयुक्त संपत्ति के रुप में जारी रहेगा । इसलिए किसी भी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा सह–स्वामी के विरुद्ध नहीं दी जा सकती ।

इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय **श्रीमती संजू देवी कश्यप एवं अन्य बनाम श्रीमती उमा बाई एवं अन्य, एआई आर 2019 सी जी 56,** का अवलम्ब लिया गया है । जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिवादी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । यह निवेदन किया गया है कि इस याचिका को स्वीकार किया जावे और आलोच्य आदेश को खारिज किया जाए ।

5. प्रतिवादी क्रं.1 के विद्वान वकील ने याचिका और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध किया। यह कथन किया गया है कि वादपत्र में की गई अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि पूर्व में आंशिक विभाजन किया गया है और याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि वाद भूमि उनके हिस्से में है एक झूठा बयान है, इस संबंध में मौखिक विभाजन पक्षकारो के पिता द्वारा करवाया गया था। याचिकाकर्ताओं/वादीगण ने अपनी वादपत्र में कब्जे का अनुतोष की मांग किया है जो यह भी दर्शाता है कि प्रतिवादी क्रं.1 के पास वाद भूमि का कब्जा है । प्रतिवादी क्रं.1 द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन आदेश XXXIX नियम 1 और 2 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमे आदेश XXXIX नियम 1(अ) के अनुसार प्रतिवादी द्वारा व्यवहार वाद ऐसे अंतरिम अनुतोष की मांग किया जा सकता है, इसलिए आलोच्य आदेश XXXIX नियम 1(सी) के अंतर्गत नहीं आता है ।

उच्च न्यायालय पटना के मामले में **श्रीमती इंद्रावती देवी बनाम बुलु घोष एवं अन्य, ए आई आर 1990 पटना 1,** के फैसले के आधार पर यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय को निषेधाज्ञा देने की अंतनिर्हित शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है । इस प्रश्न का **मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादूर राव राजा सेठ हीरा लाल, एआईआर 1962 एससी 527** मामले में न्यायालय ने अधिकारपूर्वक निर्धारित किया है कि न्यायालयों में ऐसी परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अंतनिर्हित शक्ति है जो व्य.प्र.सं.के आदेश XXXIX के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है । यह भी प्रस्तुत किया गया है **श्रीमती शकुंतलाम्मा एवं अन्य बनाम श्रीमती कंथम्मा**

WEB COPY High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एवं अन्य, (2015) ए आई आर (कर्नाटक) 13, के मामले में भी यह माना गया है कि ऐसे मामले में जहां वादी का कार्य प्रतिवादी के हित के लिए हानिकारक हो, मुकदमे की विषय–वस्तु को बर्बाद या क्षतिग्रस्त होने से या हस्तांतरण होने की स्थिति में प्रतिवादी आदेश XXXIX नियम 1(ए) व्य.प्र.सं. के तहत आवेदन पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है ।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मामले **रामलाह बनाम गौडप्पा, आईएलआर 1989 केएआर 962,** में दिए गए निर्णय के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **जगन्नाथ बनाम प्रहलाद, 1986 खंड(1)एमपीडब्ल्यूएन 175** के निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले **मेसर्स गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम कोका कोला कंपनी का मामला और अन्य, एआई आर 1995 एससी 2372,** के आधार पर आगे यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कभी भी सहमति पत्र निष्पादित नहीं किए है और याचिकाकर्ता जिस सहमति पत्र पर भरोसा कर रहे है वह कूटरचित है, जिसे उनके द्वारा व्यवहार वाद में चुनौती दी जा रही है और इसके अलावा राजस्व रिकार्ड से पता चलता है की प्रविष्टियां प्रतिवादी क्रं.1 के पक्ष में है, इसलिए उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है और यदि न्यायालय को लगता है कि मामला आदेश XXXIX व्य.प्र.सं. के अंतर्गत नहीं आता है, तब विवादित आदेश को धारा 151 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र के तहत पारित किया जाना माना जा सकता है। इसलिए यह याचिका प्रचलन योग्य नहीं है जिसे खारिज किया जा सकता है ।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है ।

7. तर्क पर विचार किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि वाद संपत्ति राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रं.1 के नाम पर दर्ज है । याचिकाकर्ताओं/वादीगण का तर्क है कि वाद की संपत्ति विभाजन में उनके हिस्से में आ गई है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्ताओं/वादीगण द्वारा दी गई सहमति के आधार पर

दर्ज किया गया है । प्रतिवादी क्रं.1 का नाम राजस्व दस्तावेजो में दर्ज होने को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा चुनौती दिया जा रहा है इसलिए वादीगण के अधिवक्ताओं को प्रमाणित करना आवश्यक है और मात्र उनके कथन ही प्रथम दृष्टिया मामला नहीं दर्शाता है । याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे कब्जे में है, किसी भी दस्तावेजो द्वारा समर्थित नहीं है, जबकि प्रतिवादी क्रं.1 का दावा कब्जे के संबंध में राजस्व दस्तावेज खसरा एवं पांचशाला से समर्थित है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादी क्रं.1 प्रथम दृष्टया मामला उसके कब्जे में है, कोई दुर्बलता या कमी नहीं है ।

8. वादपत्र में यह दलील है कि दोनो पक्षों के पिता सुतिच्छन पांडे द्वारा मौखिक बंटवारा किया गया था। जिसके बाद सभी भाई अपने–अपने हिस्से पर कब्जा प्राप्त कर लिये थे । सहमति पत्र के निष्पादन में स्व० सुतिच्छन पांडे पक्षकार नहीं थे । सहमति पत्र ही याचिकाकर्ताओं का आधार है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे प्रतिवादी क्रमांक–1 ने फर्जी दस्तावेज बनाया है, इसलिए सहमति पत्र के निजी दस्तावेज होने के आधार पर यह आधार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है । याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सारी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसके समर्थन में सहमति पत्र को छोड़कर जो प्रमाणित किया जाना है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने **श्रीमती इंद्रावती देवी बनाम बुलु घोष और अन्य (सुप्रा)** के कंडिका 9 में यह पाया है कि–

> “9. यह प्रश्न कि क्या न्यायालय के पास निषेधाज्ञा जारी करने की कोई अंतर्निहित शक्ति है, यह पूर्ण नहीं है । उपरोक्त प्रश्न को अधिकारिक रुप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 527 में दर्ज मामले में निर्धारित किया गया है । उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के भिन्न–भिन्न विचार है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगातार अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार जब तक कि परिस्थितियां व्यवहार प्रक्रिया

संहिता के आदेश 39 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती न्यायालय कोई अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं कर सकता। इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों द्वारा विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था कि न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है जो संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत नहीं आती हैं, यदि न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में ऐसा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद के दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए (एआईआर के पृष्ठ 532 पर) इस प्रकार टिप्पणी की:–, "हमारा विचार है कि बाद वाला दृष्टिकोण सही है और न्यायालयों को उन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अंतर्निहित अधिकार है जो आदेश XXXIX व्य.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती हैं। धारा 94 में ऐसा कोई कथन नहीं है जो स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर रोक लगाता हो जो आदेश XXXIX या संहिता के तहत बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संहिता के प्रावधान संपूर्ण नहीं हैं, इसका सरल कारण यह है कि विधानमंडल भविष्य में मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाली सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार करने और परिणामस्वरूप उनके लिए प्रक्रिया प्रदान करने में असमर्थ है। 'यदि ऐसा निर्धारित है' अभिव्यक्ति का प्रभाव केवल इतना है कि जब नियम उन परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, तो आमतौर पर न्यायालय को न्याय के हित में आवश्यक आदेश देने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं करना होता है, बल्कि केवल यह देखना होता है कि मामले की परिस्थितियाँ इसे निर्धारित नियम के अंतर्गत लाती हैं या नहीं। यदि धारा 94 के प्रावधान संहिता में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं थे, तो भी न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता था, लेकिन वह ऐसा अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कर सकता था। किसी भी पक्ष को न्यायालय के उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर जोर देने का अधिकार नहीं है और न्यायालय अपने निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी करता है जब वह ऐसा समझता है की न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। संहिता की धारा 94 के प्रावधान न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में ही प्रभावी होते हैं, न कि न्यायालय से उसकी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के अधिकार को छीनने में।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्रीमती संजू देवी कश्यप एवं अन्य (सुप्रा) का मामला याचिकाकर्ताओं के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार इस मामले पर लागू नहीं होता है। उस मामले में प्रश्न यह था कि क्या वह प्रकरण आदेश XXXIX नियम 1(ग) के अंतर्गत मामला है। **श्रीमती संजू देवी कश्यप एवं अन्य** मामले में निर्धारित मत यह है कि व्य.प्र.सं. की धारा XXXIX के अंतर्गत प्रतिवादी का आवेदन स्वीकार्य नहीं है। व्य.प्र.सं. का आदेश XXXIX नियम 1(क) वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों में, अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए व्यवहार न्यायालयों के पास व्य.प्र.सं. की धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का क्षेत्राधिकार है, जैसा कि इंद्रावती देवी मामले (सुप्रा) में कहा गया है। इसलिए, मुझे आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती, अत: याचिका खारिज की जाती है और समाप्त किया जाता है।

9. तदनुसार वर्तमान याचिका खारिज कर निराकृत किया जाता है ।

सही/-
(राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur